संख्या 707/चौवालिस-2-19/च.स./89

प्रेषक,

श्री प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से संबंधित
शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 5 अक्टूबर, 1989

विषय :-सार्वजनिक क्षेत्र में जनशक्ति नियोजन सार्वजनिक उद्योग चयन/सृजन समितियों का गठन।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 5195/ब्यूरो-2-2 (45)/79, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 द्वारा कतिपय शीर्ष पदों के चयन/सृजन हेतु समितियों का गठन किया गया है और इन पदों के सृजन की प्रणाली भी निर्धारित की गयी है। पुनः शासनादेश संख्या 306/44-2/उ0वे0रि0/1983, दिनांक 13 अक्टूबर, 1983 द्वारा ये आदेश प्रसारित किये गये थे कि ऐसे पद जिनके वेतनमानों की अधिकतम सीमा नये वेतनमानों रु0 3300/- या उससे अधिक है, का चयन, चयन समिति (प्रथम) द्वारा किया जायेगा और ऐसे पद जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा नये वेतनमान में रु0 2500/- या उससे अधिक किन्तु रु0 3300/- से कम है, का चयन, चयन समिति (द्वितीय) द्वारा किया जायेगा।

2-उक्त शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 1983 में यह भी प्राविधान है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों के ऐसे समस्त उच्च स्तरीय पद जिनके वेतनमानों की अधिकतम सीमा नये वेतनमान में रु0 2500/- या उससे अधिक है, के सृजन के संबंध में निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल के संकल्प पर सृजन समिति द्वारा विचार किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सृजन समिति की संस्तुतियों पर प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही पदों का सृजन किया जायेगा। शासनादेश संख्या 62/44-2-55/ 1983, दिनांक 19 जनवरी, 1985 द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि अब सृजन तथा चयन समितियों के विचारार्थ निगमों द्वारा अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से केवल उन्हीं पदों को संदर्भित किया जाय जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा रु0 2500/- से अधिक हो।

3-शासनादेश संख्या-1354/ब्यूरो-2(45)/79, दिनांक 21 मई, 1980 में उपरोक्त पदों की चयन प्रक्रिया के संबंध में ये आदेश भी प्रसारित किये गये हैं कि यदि किसी रिक्ति को सीधी भर्ती की रीति से खुले बाजार से भरने का निर्णय लिया जाता है तो पद के लिये अर्हताएं निर्धारित करने तथा पद को भरे जाने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देने व प्रारम्भिक स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्बन्धित निगम/उपक्रम द्वारा महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ के परामर्श से की जायेगी। तत्पश्चात् चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूचना पूर्ण बायोडाटा के साथ संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से चयन समिति (प्रथम) या (द्वितीय) जैसा आवश्यक हो, के समक्ष रखे जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 को भेजी जायेगी। भर्ती का स्रोत भी महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा मुख्य सचिव के परामर्श से तय किये जाने का प्राविधान है।

4-परन्तु देखने में यह आया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निगमों द्वारा शासन के उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और वे स्वयं उच्च स्तरीय पदों पर चयन तथा सृजन अपने स्तर पर कर रहे हैं। निगमों की इस प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या यू0ओ0 88/44-2/1987, दिनांक 20 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत मुख्य सचिव द्वारा निगमों के मुख्य कार्यकारियों तथा शासन के सचिवों/विशेष सचिवों को ये निर्देश भी दिये गये थे कि उक्त आदेशों का अनुपालन न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय। इसके बावजूद उक्त स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है तथा उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों की अवहेलना उचित नहीं है। इस प्रसंग में आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि उक्त सभी शासनादेश निगमों को निर्देश (डायरेक्टिव) के रूप में प्रसारित किये गये हैं, जिनका अनुपालन उनके लिए अनिवार्य है। अतः अनुरोध है कि भविष्य में उक्त शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उच्च स्तरीय पदों का सृजन एवं उनके भरे जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय।

भवदीय,
प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव।

संख्या 707 (1)/44-2-19/च.स./89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।